SHIKSHA SAMVAD
International Journal of Multidisciplinary Research
ISSN: 2584-0983 (Online)
© Shiksha Samvad|Volume-03| Issue-04| June- 2026
Available online at: https://shikshasamvad.com/
DOI:- https://doi.org/10.64880/shikshasamvad.v3i4.52

मध्यकालीन हाड़ौती में सामाजिक परम्पराएं : गुगोर के शिलालेखों के विशेष संदर्भ में

[1]निवेदिता भार्गव, [2]डॉ. विधि शर्मा

[1]शोधार्थी, इतिहास विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा
[2]सह आचार्य, इतिहास विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा

शोधसार :

प्रस्तुत शोधपत्र मध्यकालीन हाड़ौती अंचल, विशेषकर गुगोर (छबड़ा) के समाज और सांस्कृतिक परम्पराओं का पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर विश्लेषणात्मक अध्ययन है| पारम्परिक इतिहास लेखन प्राय: राजनीतिक घटनाक्रमों और युद्धों तक सीमित रहता है, परन्तु यह अध्ययन गुगोर दुर्ग के समीपवर्ती "आमेठियां" (क्षारबाग) से प्राप्त सती स्मारकों और पाषाण शिलालेखों (वि. सं. 1555 से 1805) को प्राथमिक स्रोत मानकर तत्कालीन समाज की जटिल आन्तरिक संरचना को उद्घाटित करता है| शोध में रानियों के विविध वंश-नामों (राठौड़, तंवर, सेंगर, चूंडावत आदि) के अभिलेखीय साक्ष्यों के माध्यम से खींची राजवंश के व्यापक वैवाहिक गठबन्धनों और उनके सामाजिक निहितार्थों पर प्रकाश डाला गया है|

इस अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू मध्यकालीन "सती प्रथा" का संस्थागत विश्लेषण है| वि. सं. 1754 के महासती शिलालेख के सूक्ष्म लिप्यंतरण से यह प्रमाणित किया गया है कि तत्कालीन समाज में सामूहिक प्राणोत्सर्ग की प्रथा केवल कुलीन पटरानियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि "खवास" और "दासियों" (जैसे- रामकली, चमेली आदि) का भी उनके साथ आत्मोत्सर्ग करना एक प्रतिष्ठित और मान्य सामाजिक परम्परा का रूप ले चुका था| इसके अतिरिक्त, प्रस्तुत शोध पत्र पार्वती नदी के तट पर दुर्ग की विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति, मुग़ल-हाड़ा आक्रमणों की पृष्ठभूमि और स्थानीय "रानीदेह" की जनश्रुतियों का ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ मिलान कर युद्धकालीन आपात स्थिति में "जल जौहर" की परिकल्पना को एक ठोस अकादमिक आधार प्रदान करता है|

कूटशब्द : सती प्रथा, जल जौहर, खींची चौहान, महासती शिलालेख, खवास व पड़दायत, पटरानी, पासवान, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक विरासत|

वैवाहिक सम्बन्ध एवं सामाजिक-जातीय संरचना

मध्यकालीन भारतीय समाज में, विशेषकर राजपूताना में, वैवाहिक सम्बन्ध केवल पारिवारिक मिलन नहीं थे बल्कि वे राजनीतिक गठबंधन, शक्ति संतुलन और सामाजिक प्रतिष्ठा के मुख्य आधार थे| गुगोर के शिलालेखों का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर तत्कालीन समाज की जातीय बुनावट और अंत: क्षेत्रीय संबंधों की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है|

अंतर-वंशीय वैवाहिक गठबंधन :

गुगोर के खींची चौहान शासकों के शिलालेखों में उनकी रानियों के मूल वंशों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है| ये उल्लेख सिद्ध करते हैं कि खींची शासकों का वैवाहिक दायरा केवल हाड़ौती तक सीमित नहीं था बल्कि सुदूर मारवाड़, मेवाड़ और मध्य भारत तक फैला था| प्राप्त साक्ष्यों में निम्नलिखित प्रमुख राजवंशों के साथ सम्बन्धों की पुष्टि होती है :

- राठौड़ एवं तंवर सम्बन्ध : वि. सं. 1555 के प्राचीनतम शिलालेख में "कल्याण दे" को "तंवरी" (तंवर वंश) के रूप में संबोधित किया गया है| इसी प्रकार बाद के लेखों (वि. सं. 1754) में "राठौड़ राजकंवरी" का उल्लेख मारवाड़ के राठौड़ो के साथ सुदृढ़ सम्बन्धों को दर्शाता है|
- अन्य प्रमुख वंश : शिलालेखों में सेंगर, चूंडावत और नाथावत वंश की रानियों का भी विवरण मिलता है| यह विविधता स्पष्ट करती है कि गुगोर के खींची शासक अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए तत्कालीन शक्तिशाली राजपूत कुलों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करते थे|

सामाजिक स्तर और सोपान :

अभिलेखीय साक्ष्य यह भी उद्घाटित करते है कि तत्कालीन राजप्रासाद की सामाजिक संरचना बहु-स्तरीय थी| इसमें महिलाओं की स्थिति को उनके कुल और पद के आधार पर वर्गीकृत किया गया था :

- पटरानी और रानियाँ : ये कुलीन परिवारों से आती थीं और शिलालेखों में इन्हें पूर्ण सम्मान के साथ "बहु" या "कंवर" के संबोधन के साथ दर्ज किया गया है|
- खवास और पड़दायत : वि. सं. 1754 के महासती शिलालेख में रानियों के नामों के साथ रामकली, अचनी, चमेली और कजकल जैसे नाम मिलते हैं, जिन्हें "खवास" या "पासवान" की श्रेणी में रखा गया है|
- सामाजिक विश्लेषण : यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मृत्यु (सती होने) के समय इन महिलाओं को भी रानियों के समान ही स्मारक पत्थरों में स्थान दिया गया| यह दर्शाता है कि यद्धपि वे कुलीन वर्ग से नहीं थी, फिर भी राजसी बलिदान की परंपरा में उन्हें "सांस्कृतिक मान्यता" प्राप्त थी|
- बहुविवाह प्रथा और सामूहिक सतीत्व : शिलालेखों से ज्ञात होता है कि एक ही शासक के साथ कई रानियों और दासियों का नाम अंकित होना तत्कालीन समाज में प्रचलित "बहुविवाह" की पुष्टि करता है| जब कोई राजा युद्ध में वीरगति को प्राप्त होता था या उसकी मृत्यु होती थी, तो उसके साथ विभिन्न श्रेणियों की महिलाओं का सामूहिक रूप से सती होना सामाजिक मर्यादा और स्वामिभक्ति का सर्वोच्च पैमाना माना जाता था|

सती प्रथा का संस्थागत रूप

मध्यकालीन हाड़ौती समाज, विशेषकर क्षत्रिय वर्ग में, सती प्रथा केवल एक व्यक्तिगत बलिदान न होकर एक सुदृढ़ और संस्थागत सामाजिक परंपरा का रूप ले चुकी थी| गुगोर के शिलालेख इस प्रथा के क्रमिक विकास और इसकी सामाजिक व्यापकता के अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत करते हैं|

शिलालेखीय साक्ष्य और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

प्रसिद्ध विद्वान एक्सल माइकल्स के अनुसार, इस प्रथा का पहला शिलालेखीय प्रमाण नेपाल से 464 ई. में और भारत से 510 ई. (भानुगुप्त का एरण अभिलेख) में मिलता है| प्रारंभिक प्रमाण बताते हैं कि विधवा-दहन की प्रथा आम जनता में शायद ही कभी प्रचलित थी|[1] किन्तु सदियों बाद, सती की घटनाओं को "सती पत्थर" कहलाने वाले उत्कीर्ण स्मारक पत्थरों द्वारा चिन्हित किया जाने लगा|

जेसी हार्ले के अनुसार, मध्यकालीन स्मारक पत्थर दो रूपों में पाए जाते हैं : वीरगल (वीर पत्थर) और सतीगल (सती पत्थर), जिनमें से प्रत्येक का उद्देश्य अलग-अलग स्मृतियों को संजोना था| यद्धपि ये दोनों भारत के कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन ये 8वीं या 9वीं शताब्दी से पहले के शायद ही मिलते हों|[2] एक्सल माइकल्स स्पष्ट करते हैं कि 11वीं शताब्दी के बाद से कई स्मारक सती-पत्थर दिखाई देते हैं और इनका सबसे बड़ा संग्रह राजस्थान में ही पाया जाता है|[3]

इसी सन्दर्भ में, गुगोर के शिलालेखों का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं "सती स्तंभों" या स्मारक छतरियों से सम्बंधित है, जो उस काल के क्षत्रिय समाज में सती प्रथा की प्रबलता को दर्शाता है|

सती प्रथा का बहु-स्तरीय सामाजिक स्वरूप :

गुगोर से प्राप्त अभिलेख इस तथ्य को स्थापित करते हैं कि सती प्रथा का पालन केवल उच्च राजपरिवार की पटरानियों तक सीमित नहीं था| राजमहल से जुड़ी अन्य महिलाओं ने भी इसे एक "संस्थागत" और "सामाजिक प्रतिष्ठा" के विषय के रूप में अपना लिया था| शिलालेखों में रानियों के साथ-साथ सेविकाओं का बलिदान भी सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय माना जाता था|

हस्तलिखित पांडुलिपियों और शिलालेखों के सूक्ष्म अध्ययन से निम्नलिखित प्रामाणिक तथ्य उभरकर आते हैं :

- सती महिलाओं का रेखांकन : गुगोर के पाषाणों पर केवल नाम ही नहीं बल्कि सती होने वाली महिलाओं की आकृतियाँ भी उकेरी गई हैं| वि. सं. 1712 के शिलालेख में महाराज सिरी छत्रसाल की मृत्यु पर "चार रानियों" का स्पष्ट रेखांकन मिलता है| इसी प्रकार वि. सं. 1717 के लेख में महाराज दीपसिंह के साथ "दो सतियों" का चित्रांकन है|
- वि. सं. 1754 (1697ई.) का महासती अभिलेख : यह शिलालेख संभवतः किसी बड़े युद्ध या महामारी के बाद की घटना का संकेत देता है, जहाँ महाराज लालसिंह के समय एक साथ कई रानियों और पासवानों (उप-पत्नियों) के सती होने का स्पष्ट उल्लेख है| इस लेख में पटरानियों (बहूजी राठौड़ राजकंवरी, बख्तकंवरी, सेंगरी) के साथ खवास और दासियों के नाम भी उसी सम्मान के साथ दर्ज हैं| इनमें बृजकंवरी जी खवास, रामकली, अचनी, कजकल और चमेली के नाम प्रमुख हैं|
- खवास और दासियों का बलिदान : वि. सं. 1771 के महाराजाधिराज विजेसिंह के समय के शिलालेख में राजपरिवार की महिलाओं के साथ "तीन खवास और दो महासती" का स्पष्ट वर्गीकरण किया गया है| हस्तलिखित साक्ष्यों के अनुसार इसमें "महासती ख्वासनी रोती" और "सती ख्वासनी सदरी वासनी" जैसे स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं, जो सिद्ध करते हैं कि सेविका वर्ग में भी इस प्रथा को लेकर एक होड़ और सामाजिक मान्यता थी|

आमेठियां स्थित सती शिलालेख

जल जौहर की परिकल्पना

मध्यकालीन हाड़ौती के इतिहास में महिलाओं के बलिदान का अध्ययन करते समय, केवल सती प्रथा का उल्लेख पर्याप्त नहीं है| युद्धकालीन आपात स्थितियों में सामूहिक प्राणोत्सर्ग की परम्पराओं का विश्लेषण भी अत्यंत आवश्यक है, जिसमें "जौहर" प्रमुख है|

जौहर :

जौहर, जिसे कभी-कभी जोव्हर या जुहार भी लिखा जाता है[4], भारतीय उपमहाद्वीप में राजपूत क्षत्रिय महिलाओं और लड़कियों द्वारा आत्मदाह की एक प्रथा थी|[5] जौहर प्रथा युद्ध के दौरान निश्चित हार का सामना करने पर बंदी बनाए जाने, यौन दासता, गुलामी और बलात्कार से बचने के लिए अपनाई जाती

थी|[6] यह प्रथा ऐतिहासिक रूप से भारत के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में प्रचलित थी और दर्ज इतिहास में सबसे प्रसिद्ध जौहर राजस्थान के हिन्दू राजपूत राज्यों और विरोधी मुस्लिम सेनाओं के बीच युद्धों के दौरान हुए थे|[7]

जौहर और सती : वैचारिक भिन्नता :

जौहर की प्रथा को सती से सांस्कृतिक रूप से सम्बंधित बताया गया है और दोनों ही महिलाओं द्वारा आत्मदाह के माध्यम से आत्महत्या के तरीके हैं| हालांकि, दोनों में केवल सतही समानता है और इनके बीच का मूल कारण काफी भिन्न है|[8]

"सती" एक हिन्दू विधवा द्वारा अपने पति की चिता पर बैठकर आत्महत्या करने की प्रथा थी|[9] वहीं "जौहर" आक्रमणकारियों द्वारा हार के समय बंदी बनाए जाने और गुलामी में धकेले जाने से बचने के लिए महिलाओं द्वारा सामूहिक आत्मदाह था|[10]

जल जौहर के ऐतिहासिक दृष्टांत :

हालांकि, जौहर का अनुष्ठान सामान्यतः अग्निकुंड में आत्मदाह करके किया जाता था| परन्तु इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हैं जब जौहर करने के लिए विशाल अग्नि और वेदी की व्यवस्था करने का समय ना मिलने पर महिलाओं ने किले के जलाशय में कूदकर सामूहिक आत्महत्या की|

इतिहास में इसके कई प्रमाणिक उदाहरण मिलते हैं; उदाहरणतः :

- 1232 ई. में इल्तुतमिश के समय ग्वालियर का जल जौहर|[11]
- 1301 ई. में अलाउद्दीन खिलजी के समय रणथम्भौर का जल जौहर|[12]
- 1486 ई. में महमूद बेगड़ा के समय कुवा का जल जौहर|[13]

SHIKSHA SAMVAD
PASSION TOWARDS EXCELLENCE

गुगोर की राजनीतिक एवं आपातकालीन परिस्थितियां :

गुगोर दुर्ग के सन्दर्भ में जल जौहर की परिकल्पना को तत्कालीन राजनीतिक संकट अत्यंत बल प्रदान करते हैं| उल्लेखनीय है कि 1658-1707 ई. तक मुग़ल सत्ता की बागडोर औरंगजेब के हाथ में थी तथा गुगोर शासकों पर हाड़ा और मुग़ल मैत्री से निरन्तर आक्रमण किए जा रहे थे| ऐसी आपातकालीन परिस्थितियां जौहर की संभावनाओं को और पुष्ट करती हैं| शत्रु सेना के अचानक दुर्ग के समीप पहुँचने पर विशाल चिता (अग्निकुंड) का निर्माण करना व्यावहारिक रूप से असंभव रहा होगा|

महासती शिलालेख और "रानीदेह" का भौगोलिक साक्ष्य :

वि. सं. 1754 (1697 ई.) का महाअभिलेख एक बड़े युद्ध (साके) की ओर संकेत करता है, जिसमें एक साथ कई रानियों, पासवानों और खवास महिलाओं के प्राणोत्सर्ग का उल्लेख है| यह सामूहिक बलिदान केवल सामान्य सती प्रथा प्रतीत नहीं होता|

इसके अतिरिक्त, गुगोर दुर्ग की विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति इस परिकल्पना का सबसे मजबूत आधार है| यह दुर्ग पार्वती नदी के किनारे एक अत्यंत ऊंची और सीधी खड़ी पहाड़ी पर स्थित है| आपात स्थिति में, रानियों और सेविकाओं के लिए दुर्ग की प्राचीर से सीधे पार्वती नदी के अथाह जल में कूदना सतीत्व रक्षा का सबसे त्वरित और सुलभ माध्यम रहा होगा| अत: वि. सं. 1754 (1697 ई.) का महासती शिलालेख, गुगोर दुर्ग की भौगोलिक अवस्थिति और स्थानीय रानीदेह की जनश्रुतियां; जल जौहर की संभावनाओं को पूर्णतः नकारने नहीं देती|

निष्कर्ष :

प्रस्तुत शोध पत्र के अंतर्गत गुगोर से प्राप्त शिलालेखों का सामाजिक-सांस्कृतिक विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि मध्यकालीन हाड़ौती में उत्कीर्ण पाषाण अभिलेख केवल शासकों की वंशावली या राजनीतिक विजयों के नीरस विवरण नहीं हैं बल्कि तत्कालीन समाज की जटिल संरचना, मान्यताओं और सांस्कृतिक प्रतिमानों के जीवंत दस्तावेज हैं| इन साक्ष्यों के आधार पर निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष प्राप्त होते हैं :

- व्यापक वैवाहिक परिदृश्य : रानियों के विविध वंश-नामों से प्रमाणित होता है कि खींची शासकों के वैवाहिक गठबंधन हाड़ौती के बाहर भी अत्यंत सुदृढ़ और व्यापक थे| यह विवाह के राजनीतिक और सामाजिक महत्त्व को दर्शाता है|
- सती प्रथा का संस्थागत स्वरूप : सती प्रथा केवल कुलीन पटरानियों तक सीमित नहीं थी| महासती अभिलेख यह प्रमाणित करता है कि रानियों के साथ खवास और दासियों ने भी स्वेच्छा से सतीत्व अपनाया| स्मारक पत्थरों पर इनका समान अंकन इसे एक प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था सिद्ध करता है|
- जल जौहर की पुष्टि : मुग़ल-हाड़ा मैत्री के निरंतर आक्रमणों के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थितियां, पार्वती नदी के तट पर दुर्ग की स्थिति और स्थानीय "रानीदेह" की जनश्रुतियां, गुगोर में जल जौहर की ऐतिहासिक परिकल्पना को मजबूत तार्किक आधार प्रदान करती हैं|

संदर्भ

1. माइकल्स, एक्सल (2004). "हिन्दू धर्म : अतीत और वर्तमान"| प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी प्रेस| पृष्ठ : 149-153.

2. हार्ले, जेसी (1970). "एक प्रारंभिक भारतीय वीर-पत्थर और एक संभावित पश्चिमी स्रोत"| जर्नल ऑफ़ द रॉयल एशियाटिक सोसायटी ऑफ़ द ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड| पृष्ठ : 159-164.

3. माइकल्स, एक्सल (2004). "हिन्दू धर्म : अतीत और वर्तमान"| प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी प्रेस| पृष्ठ : 149-153.

4. मार्गरिट, पाब्स्ट बैटिन (2015). "आत्महत्या की नैतिकता : ऐतिहासिक स्रोत"| ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस| पृष्ठ : 285.

5. ईटन, आर. एम. (2019). "फारसी युग में भारत 1000-1765"| ग्रेट ब्रिटेन : एलन लेन| पृष्ठ : 219.

6. जॉन स्ट्रैटन, होली (1994). "सती, आशीर्वाद और अभिशाप : भारत में पत्नियों को जलाना"| ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस| पृष्ठ : 189.

7. लिंडसे, हार्लन (1992). "धर्म और राजपूत महिलाएं : समकालीन कथाओं में संरक्षण की नैतिकता"| कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय प्रेस| पृष्ठ : 160.

8. ओल्डेनबर्ग, वीना. आशीष नंदी के "सती लाभ बनाम सती तमाशा : रूप कंवर की मृत्यु पर सार्वजनिक बहस" पर एक टिप्पणी; होली की पुस्तक "सती आशीर्वाद और अभिशाप : भारत में पत्नियों को जलाना" में| पृष्ठ : 165.

9. उपरोक्त...|

10. बोस, मदाक्रांता (2014). "प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में नारीत्व के विभिन्न रूप"| ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस| पृष्ठ : 26.

11. बैडनॉक, रॉबर्ट डब्ल्यू. (1994). "दक्षिण एशियाई हैंडबुक"| ट्रेड पब्लिशर्स| पृष्ठ : 297.

12. शर्मा, दशरथ (1959). "प्रारंभिक चौहान राजवंश"| एस चंद/मोतीलाल बनारसीदास| पृष्ठ : 118-119.

13. मेने, सी. (1921). "ध्रांगध्रा राज्य का इतिहास"| थैकर, स्पिंक| पृष्ठ : 59.

Cite this Article:

[1]निवेदिता भार्गव, [2]डॉ. विधि शर्मा, "मध्यकालीन हाड़ौती में सामाजिक परम्पराएं : गुगोर के शिलालेखों के विशेष संदर्भ में" Shiksha Samvad International Open Access Peer-Reviewed & Refereed Journal of Multidisciplinary Research, ISSN: 2584-0983 (Online), Volume 03, Issue 04, Pp.509- 514, June-2026. Journal URL: https://shikshasamvad.com/

This is an Open Access Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved.

CERTIFICATE

of Publication

This Certificate is proudly presented to

[1]निवेदिता भार्गव, [2]डॉ. विधि शर्मा

For publication of research paper title

मध्यकालीन हाड़ौती में सामाजिक परम्पराएं : गुगोर के शिलालेखों के विशेष संदर्भ में

Published in 'Shiksha Samvad' Peer-Reviewed and Refereed Research Journal and E-ISSN: 2584-0983(Online), Volume-03, Issue-04, Month June 2026, (RPRI-3.89/ 6.89)

Dr. Neeraj Yadav
Editor-In-Chief

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Executive-chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at: https://shikshasamvad.com/

DOI:- https://doi.org/10.64880/shikshasamvad.v3i4.52